


| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|----------|---------------------------|---|
| | | <p>नहीं हैं। सदस्योत्तर नहीं होवे ले प्राचीन अपराधीगण को असुर निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है अतः जा पठ असुर निषेधाज्ञा का आरिद्र किया जाता है। पत्रावली में शुमार होकर वर्त नम्बर लेऊ हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखाने अधिकारी चाकसू (जयपुर) </p> |

5
6
7
8
9